

प्रेस नोट थाना हरपुरबुदहट दिनांक 06-01-2021

बिगही गांव में हुये दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी खजनी व पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु थाना हरपुरबुदहट के कुशल मार्ग निर्देशन व थानाध्यक्ष हरपुरबुदहट नेतृत्व में उ0नि0 सुरेन्द्र यादव मय पुलिस फोर्स के मु0अ0सं0 02/2021 धारा 498A/304 B/201 भादवि0 व 3/4DP ACT से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घर पर मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र रामहरख यादव निवासी बिगही थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर घर पर मौजूद है इस सूचना पर विश्वास करके मै उ0नि0 मय हमराहियान अभियुक्त प्रमोद यादव उपरोक्त के घर दबिश दी गयी तो घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहा था कि हम पुलिस वालो को देखकर बाहर भागने का प्रयास किया जिसको मय हमराहियान की मदद से एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रमोद यादव पुत्र रामहरख यादव निवासी बिगही थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर बताया जो मुकदमा उपरोक्त में नामित /वांछित अभियुक्त है जिसे अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तारी किया तथा जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 04.01.2021 को ग्राम बिगही गांव में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.06.14 को हुई शादी के कुछ दिन बाद से ही वादी की बहन (दीपीका) से दहेज की मांग करना व मारना पीटना तथा प्रताडित करना तथा दहेज न दिये जाने पर वादी के बहन की हत्या कर लाश को गाँव के पोखरे में फेक देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी श्री अरबिन्द यादव पुत्र रामगति यादव निवासी धमचियाँ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 02/2021 धारा 498A/304 B/201 भादवि0 व 3/4DP ACT विरूद्ध नामजद अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र रामहरख यादव निवासी बिगही थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना में नामजद प्रमोद यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. प्रमोद यादव पुत्र रामहरख यादव निवासी बिगही थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गयी का विवरण –

मु0अ0सं0 02/2021 धारा 498A/304 B/201 भादवि0 व 3/4DP ACT

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

घर पर दरवाजे के बाहर दिनांक 06.01.2021 समय 09.45 बजे सुबह

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगण-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र यादव
2. का0 अंशुमान यादव
3. का0 बृजेश यादव
4. का0 संतोष यादव